


क्यामनाली
8114204

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी	
गणपत जी ५५- मन्नाम जी- (क्यामनाली)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी	
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत			
वाद-पत्र नम्बर 306 / 2021		GCMS No. 2021 / 1088	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
8114204	<p>वादी श्री गणपत जी पुत्र मन्नाम जाति जी निवासी क्यामनाली द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत क्यामनाली में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्बत 2074-2072 ग्राम क्यामनाली पटवार मण्डल क्यामनाली के खाता नम्बर 258 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि गणपत जी मन्नाम दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम गणपत जी ५५ मन्नाम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 608384300145- आधार नम्बर 78835252699 मतदाता पहचान पत्र R27251185729028 अन्य दस्तावेज (निवेदन) लाल यशम 1839. पन्ना की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी क्यामनाली भू.अ.नि 4929/ एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>		

1252-1259


उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)